राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांकः– प–7(1)(1)निमअ/स्टोर/म.वि. मैन./2017–18/ 85187 जयपुर, दिनांकः– 25-4-18

विज्ञप्ति

निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग के लिए 4 मशीन विथ मैन (प्रपत्र 'अ' के अनुसार) वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एफ.(9)(1)वित्त वि.1/(1)/बजट/2012 दिनांक 01.05.14 एवं 01.07.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार एजेन्सी से लिये जाने है। कृपया अपने प्रस्ताव दिनांक 30.04.2018 को प्रातः 12.00 बजे तक विभाग को उपलब्ध करावें।

संलग्न – परिपत्र दिनांक 01.05.14, 01.07.15, प्रपत्र –'अ' एवं निविदा की शर्तें

(रेणु खण्डेलवाल)
अति0 निदेशक
महिला अधिकारिता
राज0, जयपुर

क्रमांकः– प–7(1)(1)निमअ/स्टोर/म.वि. मैन./2017–18/ 85188-90 जयपुर, दिनांकः– 25-4-18

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
2. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ....
3. मैसर्स ....
4. आदेश पत्रावली

प्रभारी-अधिकारी (स्टोर)
महिला अधिकारिता
राज0, जयपुर

पताः– जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, राजस्थान, जयपुर, दूरभाष नम्बर–01415196310, 333

Government of Rajasthan
Finance (Budget) Department

No.: F.9 (1) FD-1(1) Bud 2012

Jaipur, Dated: 01.05.2014

Circular

Sub: - Revised rate for hiring of computers.

1. In partial modification of earlier Circular No. F.9(1) FD-1(1) Bud 2010 Jaipur, dated 25 July, 2011, the ceiling of expenditure up to Rs. 6500/- per month for hiring of computer (along with trained personnel) is hereby revised up to Rs. 8000/- per month per computer.
2. The specification of machine prescribed in Circular No F.9(1) FD-1(1) Bud 2004 dated 28.07.2008, to be hired on above revised rates, is also revised as under:-

   Computer- Intel Core i3 / Equivalent AMD based Computer or higher speed, RAM 2/4 GB or higher, Hard disk 250 GB or more, 15" Monitor/TFT or bigger, 10/100/1000 Mbps LAN Card, CD/DVD Writer, Standard Keyboard, Optical Mouse, Standard Serial, parallel & USB ports Windows 7 or higher, Anti Virus, Preinstalled MS Office. Responsibility of software license will be borne by the contractor.

   Printer- Black and white laser printer with speed 15 ppm or more. For specific needs, Dot Matrix / inkjet printer may be taken in lieu of laser printer.

   UPS - Online/Offline UPS for above Computer and Printer with 30 minutes battery backup.
3. Computer (along with personnel) will be hired from service providing agency only as per Circular No. F.1(4) FD/ Rules/ 2011 dated 17.08.2011 of Finance (Rules) Department
4. All other terms and conditions for hiring of computer (along with personnel) as contained in the Circular No. F.9(1) FD-1(1) Bud/ 2004 dated 28.07.2008 would remain the same

This circular shall be applicable on hiring of computers with revised specification on or after 01.05.2014.

(Siddharth Mahajan)
Special Secretary, Finance (Budget)

Copy forwarded for information and necessary action

1. Additional Chief Secretary to H.E. Governor, Rajasthan, Jaipur
2. Secretary to Hon'ble Chief Minister, Rajasthan, Jaipur.
3. Special Assistants/Private Secretary to All Ministers/ State Ministers, Rajasthan, Jaipur.
4. All Addl. Chief Secretary /Principal Secretary/ Secretary/ Spl. Secretary to Govt., Rajasthan, Jaipur.
5. Private Secretary to Chief Secretary.
6. Principal Accountant General (Civil Audit/Receipts and Commercial Audit/A&E), Rajasthan
7. All Head of the Departments (including Collectors) Rajasthan, Jaipur.
8. All CEOs of PSEs / Corporations / Boards
9. All Treasury Officers of Rajasthan.
10. Joint Secretaries/Dy. Secretaries, Finance Department
11. System Analyst, Finance (Computer Cell) Department for uploading the Circular on the website.
12. Director, DIPR, Rajasthan, Jaipur

Copy for information :-

1. Secretary, Rajasthan Vidhan Sabha, Jaipur
2. Registrar General, Rajasthan High Court Jodhpur / Jaipur
3. Secretary, Lokayaukt, Rajasthan, Jaipur
4. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Rajasthan, Ajmer

(M.L. Acharya)
OSF (Budget)

Government of Rajasthan
Finance (Budget) Department

No. F.9(1)FD.1(1)Bud/2012 Jaipur, Dated : 01 July, 2015

Circular

Subject:- Revised rate for hiring of Computers.

1. In partial modification of earlier Circular No.F.9(1)FD-1(1)/Bud/2012 dated 01.05.2014, the ceiling of expenditure upto Rs.8000/- per month for hiring of computer (along with trained personnel) is hereby revised upto Rs.8500/- per month (service tax extra if applicable).
2. The specification of machine for hiring on above revisied rates would be according to the specification prescribed by the circular no. F.9(1)FD-1(1)/Bud/2012 dated 01.05.2014.
3. Computer (along with trained personnel) will be hired only from service providing agency as per Circular No. F.1(4)FD/Rules/2011 dated 17.06.2011 of Finance (Rules) Department.
4. All other terms and conditions for hiring of computer (along with trained personnel) as contained in the Circular No.F.9(1)FD-1(1)/Bud/2004 dated 28.07.2008 would remain the same.

The circular shall be applicable on hiring of computers on or after 01.07.2015.

(Siddharth Mahajan)
Special Secretary, Finance (Budget)

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Principal Secretary to H.E. the Governor, Rajasthan
2. Secretary to Hon'ble Chief Minister, Rajasthan
3. Special Assistants/Private Secretaries to all Ministers/State Ministers
4. All Additional Chief Secretaries/Principal Secretaries/Secretaries/Special Secretaries to Government
5. Private Secretary to Chief Secretary
6. Principal Accountant General (Civil Audit/Receipts and Commercial Audit/A&E), Rajasthan
7. All Heads of Departments (including District Collectors)
8. All CEOs of PSEs / Corporations / Boards
9. All Treasury Officers
10. Administrative Reforms (Codification) Department, with 7 spare copies
11. All Joint Secretaries, Finance Department
12. System Analyst (Joint Director), Finance (Computer Cell) Department, for uploading the Circular on the website

Copy also to:

1. Secretary, Rajasthan Vidhan Sabha, Jaipur
2. Registrar General, Rajasthan High Court, Jodhpur/Jaipur
3. Secretary, Lokayukta, Rajasthan, Jaipur
4. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer
5. Secretary, State Election Commission, Jaipur

(Sharad Mehra)
Director (Budget)

प्रपत्र – अ

मशीन विथ मैन की आमंत्रित दरों का विवरण

क्र.सं.	विवरण	दर प्रति मशीन विथ मैन प्रति मासिक (समस्त कर/जी. एस.टी. व व्यय सहित)
1	मशीन विथ मैन प्रति	

नोट– परिपत्र के अनुसार वांछित दस्तावेज प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत करे एवं वित्त विभाग के परिपत्र से अधिकतम सीमा से अधिक राशि देय नही होगी।

प्रभारी अधिकारी (स्टोर)
महिला अधिकारिता
राज0, जयपुर

निविदा की शर्ते

जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जावेगी उसे 500/– रुपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर लिखित अनुबन्ध करना होगा एवं निर्धारित अवधि के अन्दर कम्प्यूटर मय प्रिन्टर स्थापित करना होगा। अनुबंध की शर्ते निम्न प्रकार होगी –

1. अनुबंध एक वर्ष की अवधि के लिए होगा एवं संतोषप्रद कार्य करने पर उसे परस्पर सहमति से 6 माह के लिए बढाया जा सकेगा।
2. स्थापित किये जाने वाले सभी उपकरण (मशीन विथ मैन) वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 01.05.14 एवं 01.07.15 में वर्णित स्तर के अनुरूप होने चाहिये। कम्प्यूटर की स्थापना के बाद उनका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कम्प्यूटर सिस्टम स्पेसीफिकेशन के अनुरूप है। जहां सिस्टम विहित स्पेसीफिकेशन के स्तर में अनुरूप नही पाया जायेगा उसे अनुरूप कराया जायेगा।
3. उपकरण स्थापित करने के लिये स्थान एवं बिजली की फिटिंग की व्यवस्था विभाग के द्वारा की जावेगी। विभाग कार्यालय बंद होने के बाद उपकरण को ताले मे रखे जाने की सुविधा भी प्रदान करेगा।
4. निविदाकार को दिन प्रतिदिन कार्यालय समय अथवा कार्यालय समय के बाद आवश्यकता अनुसार कम्प्यूटर सेवाएं जारी रखनी होगी। प्रिन्टर में प्रयुक्त होने वाले नया टोनर/नया रिबन प्रथम बार निविदादाता द्वारा दिया जायेगा, तत्पश्चात विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।
5. किसी भी माह में चार कार्य दिवस से अधिक कम्प्यूटर बंद नही रखा जावेगा। यह भी पूर्व में सूचना देकर ही किया जा सकेगा। इसके अधिक समय तक कम्प्यूटर बंद रहने पर चाहे वह ऑपरेटर की गैर हाजरी के कारण या किसी खराबी के कारण हो तो देय राशि में से प्रतिदिन 200/– रूपये की कटौति की जावेगी।
6. कम्प्यूटर सिस्टम को सही तरीके से कार्यरत स्थिति में संधारित रखने की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। यदि मरम्मत आदि की आवश्यकता होती है तो लिखित में सूचना देकर उचित समय में मरम्मत करने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। यदि मरम्मत में अधिक समय लगने की संभावना होगी तो निविदादाता को तब तक अन्य उपकरण लगाने की व्यवस्था करनी होगी।
7. यदि कम्प्यूटर सिस्टम विभाग की संतुष्टि के अनुसार कार्य नही करता है तो निविदादाता को लिखित में सूचना देकर ठीक कराने हेतु कहा जायेगा। निर्धारित अवधि में उसे ठीक नही कराने पर पन्द्रह दिन का नोटिस देकर संविदा निरस्त किया जा सकेगा।
8. वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र एफ 9(1)FD-1(1)BUD/2004 दिनांक 28.07.08 एवं परिपत्र एफ 9(1)FD-1(1)BUD/2010 दिनांक 25.07.11, एफ 9(1)FD-1(1)BUD/2012 दिनांक 01.05.14 तथा एफ 9(1)FD-1(1)BUD/2012 दिनांक 01.07.15 की शर्तो के आधार पर एवं प्रस्तुत राशि रूपये 8500/– प्रतिमाह समस्त कर सहित से भुगतान किया जायेगा।
9. यदि उपकरणों की चोरी या किसी अन्य प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी विभाग की नही होगी। अतः यदि निविदाकार चाहे तो उपकरणों का बीमा करवा सकता है।
10. कम्प्यूटर सेवाओं के लिए किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नही किया जायेगा।

11. भुगतान मासिक तौर पर महीना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य सम्पन्न किये जाने पर ऑनलाईन भुगतान (IFMS) के माध्यम से किया जायेगा तथा वसूलियां यदि कोई हो तो उन्हें प्रभावित किया जावेगा।
12. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी प्रकार पक्षकार (विभाग व ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी, अन्य स्थान पर पेश नही की जायेगी।
13. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानानुसार कार्य निष्पादन किया जावेगा।
14. मशीन विद मैन का न्यूनतम स्पेशिफिकेशन निम्नानुसार होगाः–

मशीन विद मैन का स्पेशिफिकेशन
Computer - Intel Core i3/Equivalent AMD based computer or higher speed, RAM 2/4 GB or higher, Hard disk 250 GB or more, 15* Monitor/TFT or bigger, 10/100/1000 Mbps LAN card CD/DVD Writer Standard keyboard, Optical Mouse, Standard Serial, parallel & USB ports Windows 7 or higher, Antivirus, Preinstalled MS Office. Responsibility of software license will be borne by the contractor. **Printer -** Black and white laser printer with speed 15 ppm or more. For specific needs, Dot Matrix/inkjet printer may be taken in lieu of laser printer. **UPS -** Online/Offline UPS for above Computer and Printer with 30 minutes battery backup.